

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांकः—प. 27(2)गृह-1 / 2022

जयपुर, दिनांकः—

23 FEB 2023

आदेश

अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान आसूचना प्रणाली को और अधिक मजबूत किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत इस संबंध में सुझाव प्रस्तुत करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार समिति का एतद्वारा गठन किया जाता हैः—

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री दलपत सिंह दिनकर, | अध्यक्ष |
| सेवानिवृत, महानिदेशक पुलिस, राज0 जयपुर। | |
| 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राज0 जयपुर। | सदस्य |
| 3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, इन्टेलिजेन्स, राज0 जयपुर। | सदस्य |
| 4. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर, रेंज—जयपुर। | सदस्य |
| 5. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (सुरक्षा), राज0 जयपुर। | सदस्य—सचिव |

उक्त समिति अपनी रिपोर्ट 03 माह में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

23/2/23

(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, गृह विभाग।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री दलपत सिंह दिनकर, (सेवानिवृत)महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, इन्टेलिजेन्स, राजस्थान, जयपुर।
7. महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर, रेंज—जयपुर।
8. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (सुरक्षा), राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस